

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आशीष श्रीवास्तव, सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3759-तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 19-8-2013 पारित द्वारा  
अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 111/अपील/11-12.

.....

विमला सिंह पत्नी स्व० हरिवंश सिंह,  
निवासी ग्राम बरैनिया, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म० प्र०

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1 सुधाकर सिंह तनय संकठा कुमार सिंह,  
निवासी ग्राम बरैनिया, तहसील देवसर जिला सिंगरौली म० प्र०
- 2 बृजेन्द्रनाथ तनय हीरामणि चतुर्वेदी,  
निवासी ग्राम खडौरा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली म० प्र०

.....अनावेदकगण

.....

श्री नरेन्द्र सिंह, अभिभाषक, आवेदक  
श्री आर० के० देव पाण्डेय, अभिभाषक, अनावेदकगण



.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 26-11-2015 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 19-8-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है। वाद विषय सर्वे क्रमांक-267 एवं 269 के उपखण्डों से संबंधित है। निगराकार विमला के पति स्व. हरिवंश सिंह ने बलिराज सिंह के दो पुत्रों से दिनांक 25-1-92 को वाद भूमि का हिस्सा कय किया। अनावेदक 1 ने भी इन्हीं सर्वे क्रमांकों का अंश रकवा इसके बाद कय किया (संदर्भ: अधीक्षक भू-अभिलेख का प्रतिवेदन दिनांक 4-8-10)।



निगराकार विमला ने अपनी भूमि का अंश भाग अनावेदक क्र. 2 को बेचा। अनावेदक 1 की पत्नी ने तहसीलदार को नक्शा तर्मीम का आवेदन दिया जिस पर तहसीलदार ने अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 18/अ-5/01-02 में पारित आदेश दिनांक 29-4-2002 से नक्शा तर्मीम आदेश पारित किया। इसके विरुद्ध निगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस प्रकरण क्रमांक 44/अपील/06-07 में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 6-2-2010 को तहसीलदार का आदेश निरस्त कर तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। इसके अतिरिक्त निगराकार ने कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन किया, जिस पर कलेक्टर ने पत्र क्रमांक 747/प्रवा0/10 दिनांक 13-7-2010 के द्वारा अधीक्षक, भू-अभिलेख सिंगरौली को टीम गठित कर वादग्रस्त भूमियों के नक्शा तर्मीम की कार्यवाही बाबत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इसके पालन में अधीक्षक भू-अभिलेख सिंगरौली के द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर दिनांक 21-7-2010 को स्थल जाँच पैमाइश कराके अपने पत्र क्रमांक 754/भू-अभि0/80/10 दिनांक 4-8-2010 के द्वारा नक्शा तर्मीम के प्रस्ताव का प्रतिवेदन कलेक्टर, सिंगरौली को प्रस्तुत किया। कलेक्टर, सिंगरौली ने पत्र क्रमांक 869/प्रवा0/2010 दिनांक 17-8-2010 के द्वारा तहसीलदार देवसर को यह प्रतिवेदन भेजा गया। तदोपरान्त तहसीलदार देवसर प्रभारी वृत्त बरगवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 18/अ-5/01-02 में दिनांक 13-9-2010 को नक्शा तर्मीम का आदेश पारित किया गया। आदेश से परिवेदित होकर उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 29-10-2011 को आदेश पारित कर अपील अंशतः स्वीकार की गई। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 सुधाकर सिंह द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 19-8-2013 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29-10-2011 निरस्त किया गया एवं तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया। इसी आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ मेरे द्वारा आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्कों पर विचार किया गया। उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनुविभागीय अधिकारी को नक्शा तर्मीम कराने व अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन में स्वयं संशोधन करने का अधिकार नहीं होना अपर आयुक्त लिखा जाना पूर्णतः अविधिक उल्लेख है।

(2) अपीलीय न्यायालय द्वारा पैरा क्रमांक 5 में ही अनुविभागीय अधिकारी को नक्शा तर्मीम करने व प्रतिवेदन में स्वयं के द्वारा संशोधन करने का अधिकार न होने का कथन करते हुए आदेश निरस्त किया गया है, यह लेख भी पूर्णतः अवैधानिक है। जिस नक्शा तर्मीम में तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक को अधिकारिता विधि के अनुसार प्राप्त है। उस आदेश को अपीलीय न्यायालय को रद्द अथवा संशोधित करने की पूर्ण अधिकारिता है।

(3) अपीलीय न्यायालय ने अधीक्षक, भू-अभिलेख के पंचनामे में निगरानीकर्ता मुस0 विमला सिंह के हस्ताक्षर को उनकी सहमति मानते हुए निर्णय का आधार माना है जिसका उल्लेख निर्णय के पैरा 5 में ही किया गया है, किन्तु इस बात की अनदेखी की है कि मुस0 विमलासिंह द्वारा सूचना पत्र में हस्ताक्षर किया था, उन्हें सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के प्रतिवेदन दिनांक 4-8-2010 के संबंध में यह ज्ञान नहीं था कि उनके द्वारा किस दिनांक को प्रतिवेदन कलेक्टर

के यहां भेजा गया जिसके बाद तहसीलदार, देवसर द्वारा दिनांक 13-9-2010 को नक्शा तरमीम आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश के पूर्व निगरानीकर्ता को किसी तरह की जानकारी नहीं हुई, जिस तरह का उल्लेख प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है।

(4) रजिस्ट्री दिनांक 25-1-1992 में दर्ज चौहददी को सुधारने व संशोधित करने की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं थी एवं उक्त पंजीकृत अभिलेख से हटकर नक्शा तरमीम प्रतिवेदन देने की अधिकारिता अधीक्षक, भू-अभिलेख को प्राप्त नहीं है।

(5) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6-2-2010 से प्रकरण प्रत्यावर्तित कर उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई का अवसर देने का आदेश दिया गया था, परन्तु आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा सुनवाई, आपत्ति प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया।

अंत में आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19-8-2013 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ गैर निगराकार क्रमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया कि निगराकार एवं गैरनिगराकार, दोनों ने द्वारा सड़क के किनारे की भूमि अलग-अलग रजिस्ट्रियों से कय की है। बलीराज के दो पुत्रों से निगराकार ने तथा अन्य दो पुत्रों से गैरनिगराकार -1 पक्ष ने भूमि खरीदी थी। दोनों पक्षों को गुरबी रोड के निकट आधा आधा हिस्सा देना चाहिए, जिसके लिये निगराकार के सहमत नहीं होने के कारण वाद उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने अधीक्षक भू-अभिलेख के पैरा 6 का संदर्भ लेकर कहा कि उसमें कूटरचित तरमीम बना दिए जाने संबंधी उल्लेख है, जिसको निगराकार द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गयी। उन्होंने सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 15-2-15 की प्रति देते हुए यह कहा कि उस प्रकरण में निगराकार द्वारा कुछ बातें मानते हुये मुआवजा ले लिया गया है, जिसके फलस्वरूप गैर निगराकार सुधाकर का दावा सिद्ध हो जाता है तथा निगराकार पर एस्टोपल लग जाता है। गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि प्रत्यावर्तन आदेश के निर्देशानुसार हितबद्ध पक्षकारों एवं निगराकार को सूचना दी गई है।

निगराकार के अधिवक्ता द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क किया गया कि निगराकार एक विधवा महिला है जिस कारण वश गैरनिगराकार पक्ष उसे परेशान कर रहा है। जब गैरनिगराकार का सड़क से लगी भूमि पर हिस्सा है ही नहीं तो उसे क्यों मिले। भू-अर्जन के मामले में निगराकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि सड़क के पास की भूमि उसकी है। गैरनिगराकार उसको पीछे धकेल कर गुरबी रोड के पास की आधी भूमि लेना चाहते हैं। यदि अपनी रजिस्ट्री में चौहदी स्पष्ट नहीं होने के कारण गैरनिगराकार को समस्या है तो उन्हें उसे सही कराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अधीक्षक भू-अभिलेख को कलेक्टर के आदेशानुसार प्रकरण में जांच करनी चाहिए थी, जिसके विपरीत उन्होंने मौके पर ही तरमीम करके निर्णय ले लिया।

अनावेदक क्रमांक-2 बृजेन्द्रनाथ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि सी0पी0सी0 की धारा 96 के अंतर्गत सहमति की परिभाषा दी गयी है एवं इस प्रकरण में तदनुसार पक्षकारों के मध्य सहमति नहीं है। कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख को दिया गया निर्देश केवल प्रशासनिक प्रकार का था। बृजेन्द्र नाथ द्वारा निगराकार विमला सिंह से भूमि कय की गयी है जो सड़क किनारे की है।

इसके प्रतिउत्तर में निगराकार अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि भाइयों के बीच बराबरी से तो बटवारा किया जा सकता था किन्तु जो भूमि निगराकार ने खरीदी उसको बलिराज के पुत्रों के मध्य बराबरी से नहीं बाटा जा सकता।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया गया।

परिशीलन से पाया गया कि कलेक्टर सिंगरोली द्वारा अपने पत्र क्रमांक 869/प्रवा. /2010 दिनांक 17.8.2010 के संलग्न कर अधीक्षक भू-अभिलेख का प्रतिवेदन दिनांक 4.8.2010 इस निर्देश के साथ तहसीलदार देवसर को भेजा गया था कि वे अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तावित प्रतिवेदन में अंकित स्थिति अनुसार मूल नक्शा/ खसरा अभिलेखों में विधिवत अभिलेख अद्यतन करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर का उक्त आदेश स्पष्ट आदेश था, जिसके अनुपालन में तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.9.2010 से अभिलेख दुरुस्त करने के आदेश हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को दिए गये।

तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने न्यायालय में दायर अपील क्रमांक- 06/ अपील /10-11 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2011 में यह अंकित करते हुए कि अपीलार्थी ने भूमि पहले कय की थी इस कारण सर्व प्रथम उसके विक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के अनुसार उपखण्ड का तर्मीम किया जाना चाहिए, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की तथा कलेक्टर के माध्यम से अधीक्षक भू-अभिलेख की ओर से प्राप्त नक्शा तर्मीम प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए विक्रय पत्र में अंकित चतुर्सीमा के अनुसार हरी स्याही से संशोधन करने के आदेश दिए।

अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक-29.10.2011 के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत हुई जो उनके प्रकरण क्रमांक-111/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक-19.08.2013 से इस आधार पर स्वीकार की गयी कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक-29.10.2011 पारित करते समय यह विचार नहीं किया गया कि कलेक्टर ने टीम गठित कर अधीक्षक भू-अभिलेख से प्रतिवेदन प्रस्ताव प्राप्त कर उसके अनुसार नक्शा तर्मीम करने एवं अभिलेखों में सुधार करने के निर्देश तहसीलदार को दिए थे, एवं तहसीलदार ने नक्शा तर्मीम आदेश दिनांक 13.9.2010 कलेक्टर के आदेशानुसार दिया गया था जिसमें संशोधन करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था।

6/ इस अनुक्रम में प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह बनते हैं कि (1) क्या बलिराज के पुत्रों के मध्य बलिराज की भूमि का विभाजन इस प्रकार हुआ था कि सड़क किनारे की भूमि उनके सभी पुत्रों के हिस्से में समान रूप से आ रही थी अथवा अन्य प्रकार से पैतृक संपत्ति का बराबर बराबर हिस्सा हर पुत्र को मिल रहा था या नहीं, (2) यदि बलिराज के पुत्रों के मध्य ऐसा विभाजन नहीं हुआ था, तो क्या विभाजन के पूर्व कुछ पुत्रों को पैतृक भूमि का कोई भाग एवं कुछ

अन्य पुत्रों को पैतृक भूमि का कोई अन्य भाग बेचने का अधिकार था या नहीं, (3) यदि विभाजन के पूर्व बलिराज के कुछ पुत्रों द्वारा पैतृक भूमि का कोई भाग एवं उनके कुछ अन्य पुत्रों द्वारा पैतृक भूमि का कोई अन्य भाग बेचे गये थे, तो क्या ऐसे विक्रयों के आधार पर संबंधित क्रेताओं को कय किए गये भू-अंशों पर कब्जे एवं स्वामित्व के अधिकार प्राप्त हो सकते थे या नहीं, (4) इस प्रकार के विक्रय संव्यवहारों से संबंधित विक्रय पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उनके आधार पर बाद में बलिराज के पुत्रों के मध्य बलिराज की संपत्ति का विभाजन करना उपयुक्त है या ऐसा विभाजन इन विक्रय संव्यवहारों को दरकिनार कर इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि बलिराज के हर पुत्र को बलिराज की संपत्ति में न केवल समान रकबा मिले बल्कि बलिराज के हर पुत्र को मिला हिस्सा समान मूल्य, महत्व एवं उपयोगिता का भी हो, (5) क्या अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दिया गया प्रस्ताव विक्रयपत्र में लिखी चौहददी के विवरण के प्रतिकूल था, एवं यदि ऐसा था तो पूर्ववर्ती प्रश्नों के उत्तरों के प्रकाश में इस बिन्दु पर किस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए थी, (6) क्या अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर के पत्र दिनांक 17-8-10 के उपरांत अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रस्ताव में संशोधन करते हुए आदेश पारित करने का अधिकार था या नहीं।

7/ उपरोक्त प्रश्नबिन्दु क्रमांक (1): उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार बलिराज के पुत्रों के मध्य बलिराज की भूमि का विभाजन, प्रकरण से संबंधित विभिन्न विक्रय संव्यवहार होने के पूर्व, इस प्रकार नहीं हुआ था कि सड़क किनारे की भूमि उनके सभी पुत्रों के हिस्से में समान रूप से आई हो अथवा अन्य प्रकार से पैतृक संपत्ति का बराबर बराबर हिस्सा हर पुत्र को मिल रहा हो।

प्रश्नबिन्दु क्रमांक (2): चूंकि बलिराज के पुत्रों के मध्य ऐसा विभाजन नहीं हुआ था, अतः विभाजन के पूर्व कुछ पुत्रों को पैतृक भूमि का कोई भाग एवं कुछ अन्य पुत्रों को पैतृक भूमि का कोई अन्य भाग बेचने का अधिकार नहीं था, क्योंकि विभाजन के पूर्व पैतृक संपत्ति, जो कि विभाजन होने तक संयुक्त संपत्ति रहती है, के हर अंश पर प्रत्येक हितधारी का उसके हित के अनुपात में अधिकार होता है और ऐसी संयुक्त संपत्ति के किसी खास हिस्से को कुछ हितधारियों द्वारा अलग से बेचने का अधिकार नहीं रहता, वह केवल अपना अंश बेच सकता है।

प्रश्नबिन्दु क्रमांक (3): चूंकि विभाजन के पूर्व बलिराज के कुछ पुत्रों को पैतृक भूमि का कोई खास भाग एवं उनके कुछ अन्य पुत्रों को पैतृक भूमि का कोई अन्य खास भाग बेचने का अधिकार था ही नहीं, तो ऐसे विक्रयों के आधार पर संबंधित क्रेताओं को इस प्रकार कय किए गये किन्हीं खास भू-अंशों पर कब्जे एवं स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते थे। यदि बलिराज के कुछ पुत्रों ने बगैर संयुक्त पैतृक संपत्ति के खास भाग को बेचे केवल अपने अंश को किसी विक्रय संव्यवहार में बेचा था, तो इस प्रकार अपने अंश बेचने के अधिकार उन्हें अवश्य थे। कय की गयी भूमि का कौन सा खास भाग क्रेता को ऐसे विक्रय संव्यवहार के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है, यह विनिश्चय विभाजन नहीं हुए होने के कारण विक्रय संव्यवहार के साथ-साथ हो जाना संभव नहीं था।

प्रश्नबिन्दु क्रमांक (4): जहां तक यह प्रश्न है कि इस प्रकार के विक्रय संव्यवहारों से संबंधित विक्रय पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उनके आधार पर बाद में बलिराज के पुत्रों के मध्य बलिराज की संपत्ति का विभाजन करना उपयुक्त है या ऐसा विभाजन इन विक्रय संव्यवहारों को दरकिनारा कर इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि बलिराज के हर पुत्र को बलिराज की संपत्ति में न केवल समान रकबा मिले बल्कि बलिराज के हर पुत्र को मिला हिस्सा समान मूल्य, महत्व एवं उपयोगिता का भी हो, तो इस संबंध में सर्वप्रथम मेरा मानना है कि किसी भी क्रेता को वही अधिकार अंतरित हो सकते हैं जो विक्रेता के पास स्वयं उपलब्ध हों। अतः, इन भू-अंशों के क्रेताओं के पास बलिराज के पुत्रों के मध्य बलिराज की भूमि के विभाजन के पूर्व किन्हीं भी खास भू-अंशों पर अधिकार प्राप्त हों, ऐसा प्रथमदृष्ट्या नहीं माना जा सकता। किन्तु चूंकि संबंधित क्रेता पैतृक संपत्ति के किन्हीं-किन्हीं खास भू-अंशों पर काबिज रहे हैं, अतः पैतृक संपत्ति का विभाजन करते समय ऐसे कब्जे का यथासंभव ध्यान रखा जाना समीचीन होगा ताकि इन क्रेताओं को कम से कम असुविधा हो। परन्तु ऐसे कब्जे का ध्यान रखते हुए पैतृक संपत्ति के विभाजन का प्रस्ताव तैयार करते समय, ऐसे कब्जे से ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात सुनिश्चित करना रहेगा कि पैतृक संपत्ति में बलिराज के प्रत्येक पुत्र को न केवल समान रकबा मिले बल्कि यह भी उसको मिला हिस्सा समान मूल्य, महत्व एवं उपयोगिता का भी हो। इस प्रकरण में गुरबी रोड से निकटता के आधार पर भू-अंशों का महत्व, मूल्य एवं उपयोगिता प्रभावित होती है। अतः गुरबी रोड से निकटता एवं अन्य घटकों का ध्यान रखते हुए पैतृक संपत्ति का बलिराज के पुत्रों के मध्य विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार बलिराज के पुत्रों के मध्य होने वाले विभाजन के आधार पर एवं उसके अनुक्रम में ही आगे के क्रेताओं के भू-अंशों की खासियत, अर्थात् उनकी चौहदिदयां इत्यादि, पहचानी जा सकती हैं तथा निर्धारित की जा सकती हैं, उसके पूर्व नहीं।

प्रश्नबिन्दु क्रमांक (5): अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दिया गया प्रस्ताव विक्रयपत्र में लिखी चौहद्दी के विवरण के प्रतिकूल था या नहीं, इस संबंध में निष्कर्ष एवं आगामी कार्यवाही के लिए मैं यह प्रकरण अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित करता हूँ। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश देता हूँ कि इस संदर्भ में पूर्ववर्ती प्रश्नों के उत्तरों के प्रकाश में आगे की कार्यवाही करें एवं कराएं।

प्रश्नबिन्दु क्रमांक (6): जहां तक यह प्रश्न है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर के पत्र दिनांक 17-8-10 के उपरांत अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रस्ताव में संशोधन करते हुए आदेश पारित करने का अधिकार था या नहीं, तो इस संबंध में मेरा मानना है कि कलेक्टर को यह अधिकार उपलब्ध है एवं अनुविभागीय अधिकारी को उनके निर्देश का पालन करना चाहिए था। किन्तु, चूंकि प्रश्नबिन्दु क्रमांक (5) में लिखे विषय पर कलेक्टर अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पूर्ण स्पष्टता से निराकरण नहीं किया गया है, अतः प्रकरण अपर आयुक्त प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती प्रश्नबिन्दु क्रमांक (5) में लिखे अनुसार कार्यवाही के दौरान कलेक्टर के निर्देश एवं अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रस्ताव पर भी न्यायहित में पुनर्विचार कर सकते हैं।

8/ उपरोक्त निष्कर्षों एवं निर्देशों के साथ मैं यह प्रकरण अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित करता हूँ तथा अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 19-8-13 उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूरी तरह स्पष्ट एवं समाधानकारक नहीं होने के कारण निरस्त करता हूँ। अपर आयुक्त इस आदेश की उनको संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 111/अपील/11-12 में नये सिरे से, इस आदेश में निर्देशित समस्त बिन्दुओं पर बोलते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए, आदेश पारित करें।

प्रकरण इसी के साथ राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख अपर आयुक्त को आदेश की प्रति के साथ भेजा जावे। प्रकरण दा.रि. हो।



(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश

ग्वालियर

